उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-13/2016/1222 /92-1-2016-62(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ में तैनात अधिशासी अभियंताओं में सबसे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ, श्री ई0एच0 खॉन को जनहित/शासकीय कार्यहित में अपने मूल पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में नियमित अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने, जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़ के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- श्री ई0एच0 खॉन को अधीक्षण अभियंता के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को निर्वहन करने के लिये उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता के पद के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने की उक्त व्यवस्था नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत है, जो शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-13/2016/1222(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in